तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/7/22	पत्रावली पेश। वकीलान उप. बहस सुनवाई [illegible] पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। निर्णय पृथक से लिखकर प्रारूप शामिल मिसल किया गया। निर्णय पालनार्थ तहसील [illegible] जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर, [illegible]

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :– राजकेश मीणा (आर ए एस)

राजस्व वाद सख्या 44 / 2020

वादीनी :–

श्रीमति पारूदेवी पत्नी श्री बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम सिल्ली तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. धोंकलराम पुत्र श्री अमराराम
2. आईदानराम पुत्र श्री अमराराम
3. आसूराम पुत्र श्री अमराराम
4. भैराराम पुत्र श्री मोतीराम
5. लूम्बाराम पुत्र श्री मोतीराम
6. बाबूराम पुत्र श्री कुम्भाराम
7. नवलाराम पुत्र श्री अमराराम
8. प्रहलादराम पुत्र श्री अमराराम
9. हरीराम पुत्र श्री अमराराम
10. पुखराम पुत्र श्री अमराराम
11. केसूराम पुत्र श्री अमराराम
12. गैनाराम पुत्र श्री बीरमाराम
13. पोकरराम पुत्र श्री गिरधारीराम
14. सॉवलराम पुत्र श्री भियाराम फौत
15. मनुराम पुत्र श्री भियाराम
16. बाबुराम पुत्र श्री भियाराम
17. रेवन्तराम पुत्र श्री तुलछाराम फौत
18. जगदीश पुत्र श्री तुलछाराम
19. मगनाराम पुत्र श्री तुलछाराम
20. डालूराम पुत्र श्री तुलछाराम
21. मूली पत्नी श्री तुलछाराम फौत
22. भैराराम पुत्र श्री गोमदराम

सहायक कलेक्टर, ओसियाँ

23. देराजराम पुत्र श्री गोमदराम

24. सोनी पत्नी श्री गोमदराम

25. ओमी पुत्री श्री गोमदराम

26. मॉंगी पुत्री श्री गोमदराम

27. जानी पुत्री श्री बंशीराम

28. पेंम्पी पुत्री श्री बंशीराम पत्नी श्री सॉवलराम

29. मोहनी पुत्री श्री बंशीराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम सिल्ली तहसील ओसियॉ जिला जोधपुर ।

30. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियॉ

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रूगाराम चौधरी

प्रतिवादीगण अनुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही

–:: निर्णय ::–

वादीगण की ओर से वादपत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम सिल्ली के खसरा सख्या 136 रकबा 10 बीघा 07 बिश्वा, खसरा सख्या 137 रकबा 10 बीघा 09 बिश्वा, खसरा सख्या 138 रकबा 48 बीघा 04 बिश्वा, , खसरा सख्या 139 रकबा 06 बीघा 10 बिश्वा, खसरा सख्या 139/1 रकबा 03 बिश्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा सख्या 140 रकबा 07 बीघा 10 बिश्वा, खसरा सख्या 141 रकबा 06 बीघा 07 बिश्वा, खसरा सख्या 141/1 रकबा 05 बिश्वा, गैर मुमकिन ढाणी, कुल खसरान 08 रकबा 89 बीघा 15 बिश्वा आई हुई है उक्त खसरान की भूमि के खातेदार वादीनी व प्रतिवादीगण सख्या 02 से 29 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका वंशावली वंशवृक्ष वादीनी द्वारा वादपत्र के पद सख्या 02 में बनाया तथा आगे बताया कि विवादग्रस्त आरियात वक्त सेन्टलमेन्ट नारायण, गोरधन, राउ लाला, एक उरजा पुत्रान रूगान का कब्जा काश्त था। वक्त सेन्टलमेन्ट राजस्व रेकर्ड में वादीनी के पिता बनाराम का नाम दर्ज था। गोरधनराम पुत्र श्री रूगाराम ने अपने हक हिस्सा अपने भाईयो के पक्ष में त्याग कर दिया इस कारण आराजियाता में गोरधन पुत्र श्री रूगा का कोई कब्जा काश्त नही रहा। बनाराम के कोई जाईन्दा पुरूष सन्तान नही थी। वादीनी ही बनाराम के प्रथम श्रेणी की वारिस उतराधिकारी है। बनाराम के देहान्त होने पर राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो मृतक बनाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान की जॉच प्रडताल किए बिना ही प्रतिवादीगण के पूर्वज रुजरा, तुलछा, बंशी का नाम दर्ज कर दिया। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार वादीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना चाहिए था। प्रतिवादीगण को गलत व विधि विरूद्ध राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार की कोई मदद नही मिल सकती, प्रतिवादीगण गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर विवादग्रस्त

आराजीयात पर अपना हक अधिकार लगाना शुरू कर दिया । वादीनी ने प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने के लिए कई बार निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादीगण हर बार आश्वासन देते रहे। वादीनी अनपढ ग्रामीण महिला है। वादीनी ने राजस्व रेकर्ड की ओर कभी ध्यान नही दिया। एवम वादीनी का विश्वास दिलया था कि विवादग्रस्त आराजी वादीनी के पिता की थी। वादीनी के पिता के देहान्त हो जाने के बाद वादीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया होगा। वादीनी ने अपनी पैत्रक कृषि भूमि पर गत वर्ष टयूबवैल खुदवाने के लिए हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकले के लिए सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम दर्ज नही होकर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हे। वादीनी को गलत राजस्व रेकर्ड की सर्वप्रथम जानकारी गत वर्ष ही वादीनी को राजस्व रेकर्ड की नलके लेने पर हुई। वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा व कब्जा काश्त है वादीनी के अपना हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि के विकास कार्य में अनेक प्रकार की कठिनाईयो का समना करना पड रहा है। इसलिए वादीनी को अपने हक हिस्सा कब्जा काश्त की कृषि भूमि को विधि अनुसार बटवाडा कर राजस्व रेकर्ड व नक्शा में तरमीम करवाने के लिए बटवाडा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अन्त में वादीनी द्वारा ईस्तदुआ चाही कि वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे व उक्त भूमि का बटवाडा किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे वादीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलदांजी नही करे।

वादीनी का उक्त वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण उपस्थित रहे तथा प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा वादीनी का वादपत्र स्वीकार किया गया व वादीनी का वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से की खातदेारी घाषित करने की ईस्तदुआ चाही।

वादीनी का वादपत्र प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने पर उभय पक्षकारानो के अभिवचनो के आधार पर कोई विवाद्यक नही सुझाए गए। तत्पश्चात पत्रावली को साक्ष्य वादी में मुकर्र रखा गया । जिसमें वादीनी द्वारा अपना साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि " **आया वादग्रस्त भूमि वादीनी की पैत्रक भूमि है जिसमें वादीनी का 1/4 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारीणी है।**

उक्त तथ्य के सम्बध मे पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2020 में खातेदार नारायण, गोरधन, रामा उर्फ राउ, लाल उर्जा पिता रूगा का नाम दर्ज है। तथा नामान्तरकरण सख्या 54 के कॉलम सख्या 05 में उक्त खातेदारो के नाम दर्ज है तथा कॉलम सख्या 14 में उक्त सभी खातेदारो को फौत बताकर प्रतिवादीगण के पूर्वज को नाम कॉलम सख्या 11 के अनुसार दर्ज किया गया है। जबकि वादीनी राउ उर्फ रामा की वारिसान है तथा हिन्दू

उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीनी राउ की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में राउ के स्थान पर वारिसान के रूप में 1/4 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारीणी है। इस बाबत प्रतिवादीगण द्वारा कोई उज्र एतराज जबाब दावा में नही किया है कि राउ कि वादीनी उतराधिकारी नही हो। उक्त विवेचन के आधार पर वादीनी का वादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत वादीनी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादीनी को वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम सिल्ली के खसरा सख्या 136 रकबा 10 बीघा 07 बिश्वा, खसरा सख्या 137 रकबा 10 बीघा 09 बिश्वा, खसरा सख्या 138 रकबा 48 बीघा 04 बिश्वा, , खसरा सख्या 139 रकबा 06 बीघा 10 बिश्वा, खसरा सख्या 139/1 रकबा 03 बिश्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा सख्या 140 रकबा 07 बीघा 10 बिश्वा, खसरा सख्या 141 रकबा 06 बीघा 07 बिश्वा, खसरा सख्या 141/1 रकबा 05 बिश्वा, गैर मुमकिन ढाणी, कुल खसरान 08 रकबा 89 बीघा 15 बिश्वा भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस आशय का डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राजकेश मीणा (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

निर्णय आज दिनाक 4/7/22 को सरेईजलास सुनाया गया।

राजकेश मीणा (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

मूल वाद में अन्तिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 06 और 07)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– राजकेश मीणा (आर ए एस)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :– राजकेश मीणा(आर ए एस)

वादपत्र सख्या :– 44 / 2020

वादीनी :–

श्रीमति पारूदेवी पत्नी श्री बनाराम जाति जाट निवासी ग्रम सिल्ली तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. धोंकलराम पुत्र श्री अमराराम
2. आईदानराम पुत्र श्री अमराराम
3. आसूराम पुत्र श्री अमराराम
4. भैराराम पुत्र श्री मोतीराम
5. लूम्बाराम पुत्र श्री मोतीराम
6. बाबूराम पुत्र श्री कुम्भाराम
7. नवलाराम पुत्र श्री अमराराम
8. प्रहलादराम पुत्र श्री अमराराम
9. हरीराम पुत्र श्री अमराराम
10. पुखराम पुत्र श्री अमराराम
11. केसूराम पुत्र श्री अमराराम
12. गैनाराम पुत्र श्री बीरमाराम
13. पोकरराम पुत्र श्री गिरधारीराम
14. साँवलराम पुत्र श्री भियाराम फौत
15. मनुराम पुत्र श्री भियाराम
16. बाबुराम पुत्र श्री भियाराम
17. रेवन्तराम पुत्र श्री तुलछाराम फौत
18. जगदीश पुत्र श्री तुलछाराम
19. मगनाराम पुत्र श्री तुलछाराम

सहायक कलेक्टर, ओसियां

20. डालूराम पुत्र श्री तुलछाराम

21. मूली पत्नी श्री तुलछाराम फौत

22. भैराराम पुत्र श्री गोमदराम

23. देराजराम पुत्र श्री गोमदराम

24. सोनी पत्नी श्री गोमदराम

25. ओमी पुत्री श्री गोमदराम

26. मॉगी पुत्री श्री गोमदराम

27. जानी पुत्री श्री बंशीराम

28. पेंम्पी पुत्री श्री बंशीराम पत्नी श्री सॉवलराम

29. मोहनी पुत्री श्री बंशीराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम सिल्ली तहसील ओसियॉ जिला जोधपुर ।

30. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियॉ

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनॉक :- 4/7/22

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रूगाराम चौधरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही निर्णयानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम सिल्ली के खसरा सख्या 136 रकबा 10 बीघा 07 बिश्वा, खसरा सख्या 137 रकबा 10 बीघा 09 बिश्वा, खसरा सख्या 138 रकबा 48 बीघा 04 बिश्वा, , खसरा सख्या 139 रकबा 06 बीघा 10 बिश्वा, खसरा सख्या 139/1 रकबा 03 बिश्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा सख्या 140 रकबा 07 बीघा 10 बिश्वा, खसरा सख्या 141 रकबा 06 बीघा 07 बिश्वा, खसरा सख्या 141/1 रकबा 05 बिश्वा, गैर मुमकिन ढाणी, कुल खसरान 08 रकबा 89 बीघा 15 बिश्वा भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय आज तारीख 4/7/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी ।

राजकेश मीणा (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
सबूत पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामिल	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

राजकेश मीणा (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसिया